

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं 46 /2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(140). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46-2017/वाक/पांच/(90), तारीख 1 जुलाई, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 274 में, तारीख 4 जुलाई, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (ii) शब्द "पचत्तर लाख रुपये" के स्थान पर "एक करोड़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(140). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(140), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 46/2017-State Tax

No. F-10- 80/2017/CT/V (140). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. F-10-46/2017/CT/V(90), dated the 1st July, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 274, dated the 4th July, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) for the words "seventy-five lakh rupees", the words, "one crore" shall be substituted;

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.